दिनांक : . .२०१८

प्रति,

माननीय केंद्रीय गृहमंत्री,
भारत सरकार, नई देहली ११००११

विषय : समाजसहायता तथा राष्ट्रहित का कार्य करनेवाली सनातन संस्था, हिन्दू जनजागृति समिति तथा अन्य समविचारी हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों को झूठे प्रकरणों में फंसाकर, साथ ही निर्दोष हिन्दुत्वनिष्ठों को बंदी बनाए जाने के षड्यंत्र की जांच करने के विषय में...

महोदय,

सनातन संस्था तथा उसके साधक विगत २ दशकों से भी अधिक समय से निरपेक्ष भाव से धर्म एवं संस्कृति का प्रचार कर समाज में अध्यात्म, साधना, संस्कृति तथा राष्ट्र के विषय में जागृति ला रहे हैं । साथ ही भ्रष्टाचार, जनता की हो रही लूट-खसोट तथा अन्याय के विरुद्ध वैधानिक पद्धति से संघर्ष कर रही है । उससे समाज नैतिकता तथा धर्माचरण की ओर झुककर वह सुख, शांति एवं समृद्ध जीवन की ओर अग्रसर है ।

महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दल के अधिकारियों ने नालासोपारा के गोरक्षक श्री. वैभव राऊत, सातारा के श्री. सुधन्वा गोंधळेकर, संभाजीनगर के श्री. शरद कळसकर, जालना के श्री. श्रीकांत पांगारकर को बंदी बनाकर उनके आवास में कुछ विस्फोटक मिलने का दावा किया है । उसके पश्चात श्री. सचिन अंदुरे, श्री. शुभम सुरळे, श्री. अजिंक्य सुरळे, श्री. रोहित रेगे तथा श्री. अविनाश पवार को भी बंदी बनाया गया । इनमें से कोई भी सनातन संस्था का साधक न होते हुए भी कुछ राजनीतिक दल, संगठन, तथाकथित आधुनिकतावादी, मुसलमान नेता आदि द्वारा 'सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाएं', इसप्रकार की आधारहीन मांग की जा रही है । कुछ प्रसारमाध्यमों द्वारा सनसनी फैलानेवाले तथा दिशाभ्रम करनेवाले समाचार प्रसारित कर तथाकथित 'हिन्दू आतंकवाद' का ढोल पीटा जा रहा है । इसी प्रकार की (हिन्दुत्वनिष्ठों को फंसाने की) घटना वर्ष २००८ में मालेगाव बमविस्फोट के प्रकरण में हुई थी ।

मालेगाव बमविस्फोटप्रकरण में साध्वी प्रज्ञासिंह, कर्नल पुरोहित, सुधाकर चतुर्वेदी के साथ अनेक हिंदुत्वनिष्ठों को झूठे गुनाहों में बंदी बनाकर ९ वर्ष कारागृह में डाल दिया गया था । तदुपरांत कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ऐसा राष्ट्रीय अन्वेषण तंत्र द्वारा ('एन्आयए'ने) स्पष्ट किए जाने पर उन्हें जमानत मिली । इतना ही नहीं, अपितु कर्नल पुरोहित एवं सुधाकर चतुर्वेदी के घर आर्.डी.एक्स्.का भंडार मिलने का आरोप किया; परंतु बाद में आर्.डी.एक्स्. भी आतंकवादविरोधी पथक के पुलिसकर्मियों ने ही इन हिंदुत्वनिष्ठों को फांसने के लिए जानबूझकर उनके घर रखा गया था, यह बात राष्ट्रीय अन्वेषण तंत्र द्वारा की जांच में उजागर हुई थी । यही बात उपरोक्त उल्लेखित हिंदुत्वनिष्ठों के संदर्भ में होने की संभावना है; कारण श्री. राऊत के बंदी बनाए जाने से पूर्व वहां से मिले तथाकथित साहित्य का पंचनामा ही नहीं किया गया था । श्री. राऊत की पत्नी ने घर में सुई तक न मिलने का दावा किया
है । नालासोपारा से ९ हजार से भी अधिक नागरिकों ने एकत्र आकर इस पुलिस कार्यवाही के विरोध में भव्य जनआक्रोश आंदोलन किए; इसके पश्चात राज्यभर में पुणे, ठाणे, सातारा, संभाजीनगर, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रायगड आदि जिलों में उत्स्फूर्तता से हिन्दुओं ने सहस्रों की संख्या में मोर्चे निकाले । अब भी अनेक जिलों में आंदोलन एवं मोर्चे निकला जा रहे हैं ।

केवल इसी प्रकरण में नहीं, अपितु डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे तथा पत्रकार गौरी लंकेश की हत्याओं के प्रकरणों में भी इसीप्रकार से हुआ है । गौरी लंकेश हत्या प्रकरण में कर्नाटक उच्च न्यायालय में प्रविष्ट एक याचिका के माध्यम से हिन्दुओं को अवैधरूप से बंदी बनाना, उन्हें अज्ञातस्थानपर रखना, उनके साथ अमानुषिक मारपीट कर उनके द्वारा न किए गए अपराधों की स्वीकृती लेना तथा उन्हें अधिवक्ता की सहायता लेने के मौलिक अधिकार से वंचित रखना जैसे उत्पीडन की घटनाएं सामने आई हैं । इसलिए हिन्दुओं के साथ मारपीट कर उनसे अपराध की झूठी स्वीकृती लेने का यह प्रयास पुलिस की जांचपर ही प्रश्नचिन्ह खडा कर रहा है । कॉ. पानसरे हत्या प्रकरण में समीर गायकवाड को बंदी बनाए जाने के पश्चात उनसे २०-२२ भ्रमणभाष संच और चाकू नियंत्रण में ले लिए गए, इस प्रकार की मनगढंत कथाएं बताईं गईं; परंतु उसी समय श्री. गायकवाड की भ्रमणभाष की दुरुस्ती की दुकान थी, इस तथ्य का अपनी सुविधा के अनुरूप अनदेखा किया गया । सनातन के आश्रम में रहनेवाले साधकों के पास अलार्म की घडी को नियंत्रण में लेकर 'हमें जांच-पडताल में टाईमर' मिला', ऐसी कथा बताई गई । उद्बोधक हस्तपत्रिकाएं और ग्रंथों को शासनाधीन कर भडकाऊ साहित्य तथा कागदपत्र मिलने का आक्रोश किया गया । अन्वेषण विभागों द्वारा किए गए दावे तथा प्रत्यक्ष वास्तविकता में आकाश-पाताल का अंतर स्पष्ट हो चुका है ।

वास्तव में ठाणे अथवा मडगाव (गोवा), इनमें से किसी भी बमविस्फोट के प्रकरण के आरोपपत्रों में सनातन संस्था का नाम सामने नहीं आया है । इसके विपरीत पकडे गए संदिग्ध आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आतंक के आरोप न्यायालय ने स्पष्टता से अस्वीकार किए हैं । मडगाव प्रकरण में तो न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है, '' यह प्राथमिकी (FIR) सनातन संस्था को फंसाने के लिए ही बनाई गई थी ।'' आजतक सनातन संस्था के विरुद्ध कोई भी अपराध प्रविष्ट नहीं हुआ है, साथ ही संस्था के साधक के विरुद्ध कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है । राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के अन्वेषण विभागों द्वारा की गई जांच में सनातन के विषय में किसी भी प्रकार की कोई विधिबाह्य बातें सामने नहीं आई हैं । संस्था कानून और संविधान की मर्यादा में ही कार्य करती है; इसलिए संस्था की ओर से इस प्रकार के गैरकानूनी कृत्यों की समय-समयपर खुलेरूप से निंदा की गई है ।

तत्कालिक कांग्रेस शासन ने इससे पहले वर्ष २०११ में सनातन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था; परंतु उसी समय 'प्रमाणों के अभाव में सनातन पर प्रतिबंध लगाया नहीं जा सकता', ऐसा कहकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया था । इसके साथ ही आज की केंद्र सरकार के केंद्रीय गृहराज्यमंत्री श्री. किरेन रिजीजू ने भी सनातन पर प्रतिबंध लगाने के विषय में जानकारी देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा सनातन संस्था को किसी भी प्रकार से 'कानूनद्रोही संगठन' घोषित नहीं किया गया है, साथ ही आज की केंद्र सरकार के पास सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । ऐसा होते हुए भी सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाने की मांग करना अयोग्य है । हाल ही में २३ अगस्त २०१८ को केंद्रीय गृहराज्यमंत्री श्री. हंसराज अहीर ने 'केंद्र सरकार को सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है', ऐसा घोषित किया है ।

*** इस संदर्भ में हम कुछ महत्त्वपूर्ण सूत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –**

१. मुंबई में आंतकवादविरोधी दल के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अतुलचंद्र कुलकर्णी ने २१ अगस्त २०१८ को ली गई पत्रकार परिषद में 'नालासोपारा में विस्फोटक मिलने के प्रकरण में बंदी बनाए गए आरोपी कौन-से संगठन के हैं, उनके नाम सामाजिक माध्यमों में (सोशल मीडिया) में अवश्य आए हैं; परंतु अभीतक किए गए अन्वेषण में किसी भी संगठन का नाम सामने नहीं आया है; परंतु प्रसारमाध्यम स्वयं को न्यायाधीश मानकर मनगढंत पद्धति से लिख रहे हैं', यह वास्तविकता रख दी है ।

२. राज्य के गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर ने भी बताया है कि अभीतक किए गए अन्वेषण में किसी भी संगठन का नाम सामने नहीं आया है, साथ ही सनातन संस्थापर प्रतिबंध लगाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रस्ताव अभीतक केंद्र शासन के पास भेजा नहीं गया है । कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने भी 'गौरी लंकेश हत्या प्रकरण में सनातन संस्था का हाथ होने की बात अभीतक प्रमाणित नहीं हुई है', ऐसा कहा है ।

३. डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरण में सचिन अंधुरे नामक युवक द्वारा हत्या की स्वीकृती दिए जाने का दावा करनेवाले केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआई) ने अबतक के अन्वेषण में कभी नहीं किया था । महाराष्ट्र राज्य के आतंकवादविरोधी दल द्वारा की गई कार्यवाही में अंधुरे का नाम सामने आनेपर सीबीआई ने यह कार्यवाही की । इसलिए केंद्रीय अन्वेषण विभाग द्वारा की गई अबतक की जांचपर प्रश्नचिन्ह उपस्थित हुआ है ।

४. संदिग्ध के रूप में बंदी बनाए गए अविनाश पवार की पुलिस हिरासत को बढाते हुए न्यायालय ने आतंकवादविरोधी दल द्वारा दिया गया कारण संतोषजनक न होने का निष्कर्ष निकाला है । अन्वेषण विभाग ने 'अविनाश पवार के पास मिले हुए भ्रमणभाष संच किसके नामपर हैं', इसका अन्वेषण नहीं किया है । न्यायालय ने अन्वेषण विभाग को फटकार लगाते हुए कहा है कि उन्होंने केवल एक स्थानपर जाकर मिट्टी के नमुने ले लिए । इससे अधिक इस दल ने कुछ नहीं किया है । आश्चर्य की बात यह कि केस डायरी में दर्ज ये ४ नाम नए हैं, जो कि पिछली सुनवाई के समय नहीं थे ।' इससे आतंकवादविरोधी दल का झूठ ही प्रमाणित होता है ।

५. मालेगाव विस्फोट के अन्वेषण का प्रकरण तो एक बडा षड्यंत्र था । इस प्रकरण में झूठे आरोपी, झूठे प्रमाण, झूठे साक्ष, साक्षियों का अपहरण करना, जानबूझकर अभियोग को दीर्घ काल तक चलाना आदि बातें सामने आई हैं; परंतु उसके कारण साध्वी प्रज्ञासिंह तथा कर्नल पुरोहित को झूठे आरोपों के चलते ८.५ वर्षोंतक कारागृह में रहना पडा । इस प्रकरण में भी हिन्दुत्वनिष्ठों के विषय में यही घटना दोहराए जाने की बडी संभावना है ।

६. दाभोलकर-पानसरे के परिजनों ने दाभोलकर तथा पानसरे हत्या प्रकरण का अभियोग चलाया नहीं जाना चाहिए, इसके लिए उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की है । इससे

स्पष्ट होता है कि उन्हें वास्तविक आरोपी मिलना अपेक्षित नहीं, अपितु सनातन के निर्दोष साधकों को कष्ट पहुंचे, यही उनका उद्देश्य है । इसके फलस्वरूप दाभोलकर हत्या प्रकरण में बंदी बनाए गए डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे बिना किसी कारण पिछले २ वर्षों से कारावास भुगत रहे हैं, साथ ही श्री. समीर गायकवाड को 'हत्या का आरोपी' के रूप में समाज में विचरण करना पड रहा है ।

*** अतः इस संदर्भ में हम मांग करते हैं कि ....**

१. सनातन संस्था, हिन्दू जनजागृति समिति तथा अन्य समविचारी हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों को अपना लक्ष्य बनानेवाले षड्यंत्र का अन्वेषण कर उसकी सखोल जांच की जाए ।

२. सनातन संस्था तथा हिन्दू जनजागृति समितिपर प्रतिबंध लगाने की आधारहीन मांगें की जा रही हैं । केंद्र सरकार के पास यदि इस प्रकार का प्रस्ताव आया, तो केंद्र शासन उसे अस्वीकार करे ।

३. निरंतर झूठे समाचार प्रसारित कर सनातन संस्था, हिन्दू जनजागृति समिति, हिन्दू गोवंश रक्षा समिति, श्री शिवप्रतिष्ठान हिन्दुस्थान, शिवसेना, शिवसेना, श्रीराम सेना आदि संगठनों को तथा उनके कार्यकर्ताओं को बिना किसी कारण अपकीर्त किया जा रहा है । ऐसे स्वघोषित न्यायाधीशों को रोका जाए तथा झूठे समाचार प्रसारित करनेवालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए ।

४. अभियोगों को लटकाए जाने के कारण हिन्दुत्वनिष्ठों को बिना किसी कारण कारावास भुगतना पड रहा है । अतः इन सभी प्रकरणों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए । जिन अधिकारियों ने इस सुनवाई को जानबूझकर लंबित रखने का प्रयास किया है, उन अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए ।

इन मांगों को लेकर ..... इस दिन ..... इस स्थान पर 'राष्ट्रीय हिन्दू आंदोलन' किया गया ।

आपका विश्वासी

(संपर्क :)